

Filing No: MJCR/1257/2022 CNR: MPI2-50015072-22

ORDER SHEET

THE COURT

MJCR/18/2022

Of 20

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
14.10.2022	इस न्यायालय के मूल प्रकरण क्रमांक आर.सी.टी. 02/2021 आरक्षी आरक्षी केंद्र हरसूद वि. टीकाराम अंतर्गत धारा 294, 323, 506, भाग-दो भादसं में आरोपी टीकाराम पिता मेवालाल उम्र-26 साल जाति बंजारा निवासी-जामन्या सरसरी तहसील हरसूद जिला खण्डवा द्वारा प्रस्तुत प्रतिज्ञा पत्र राशि 10,000/-दस हजार रुपये का निष्पादन किया गया था, किंतु आरोपी की अकारण अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत प्रतिज्ञा पत्र जप्त कर लिया गया है। आरोपी से प्रतिज्ञा पत्र की जप्ति राशि की वसूली के संबंध में धारा 446 दंप्रस के तहत विधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है। प्रकरण विधिक आपराधिक पंजी एमजेसीआर में दर्ज हो। आरोपी को मुचलका जप्ती राशि की वसूली कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो। प्रकरण जवाब हेतु दिनांक 07.01.2022 को पेश हो। (जयप्रताप चिड़ार) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद,	टीकाराम

पुनश्च:-

आरोपी टीकाराम पिता मेवालाल उम्र-26 साल जाति बंजारा निवासी-जामन्या सरसरी तहसील हरसूद जिला खण्डवा की ओर से श्री राम पंवार अधिवक्ता ने धारा 446 दंप्रसं का लिखित जवाब देते हुये निवेदन किया कि, आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष रुपये 500/-रुपये की राशि जमा करने हेतु तत्पर है। अतः आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध विधिक प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी ने न्यायालय के आदेश का पालन न करते हुये बिना सूचना के अकारण अनुपस्थित रहे हैं और जमानत आदेश का पालन नहीं किया गया है, किंतु आरोपी द्वारा अनुपस्थिति का जो कारण बताया गया है, वह सद्भाविक प्रतीत होता है। अतः बाद विचार आदेशित किया जाता है कि आरोपी की ओर से मुचलका जप्ती राशि रुपये में से रुपये 500/- जमा करे तो शेष मुचलका राशि माफ की जाती है।

01. इसी समय आदेशानुसार टीकाराम पिता मेवालाल उम्र-26 साल जाति बंजारा निवासी-जामन्या सरसरी तहसील हरसूद जिला खण्डवा द्वारा मुचलका जप्ती की राशि रुपये 500/-को साईबर ट्रेजरी में ऑनलाईन राशि स्क्रेल नंबर 81164 एवं चालान नंबर 051/9999999/0070/10/22/010096 दिनांक 14.10.2022 पर अदा की गई।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रकरण में पूर्व पेशी तारीख 07.01.2023 निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(जयप्रताप चिडार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद,
जिला खण्डवा म.प्र.

टिका/राम